न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 17/2022

प्रार्थीगणः-

1. शंकरलाल पुत्र बाबुलाल जाति जाट
2. सेठीदेवी पत्नी शंकरलाल जाति जाट निवासीगण ग्राम झाक तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1.ओमाराम पुत्र मोतीराम जाति सीरवी
2.छितरराम पुत्र घेवरराम जाति सीरवी
3.मोहनलाल पुत्र अन्नाराम जाति सीरवी निवासीगण ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा
5.बिजेश कुमार
6.श्रवण कुमार पिसरान घेवरराम
7.मंजू पुत्री
8.सुशीला पुत्री घेवरराम
9.डूंगरराम पुत्र दुर्गाराम जातियान कुम्हार निवासीगण ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थीगण - श्री भागीरथ सिंह सोढा एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 5,6 व 9- श्री अशोक कुमार पटेल एडवोकेट।
अप्रार्थी सं.- 1 से3, 7, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 4- सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :-** 3/3/23

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जा काश्त की भूमि ग्राम कालाउना के खाता सं. 407 के खसरा सं. 442 रकबा 3.6324 आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण कृषि कार्य कर रहे है। प्रार्थीगण के खेत खसरा सं. 442 के पश्चिम में अप्रार्थीगण का खेत खसरा सं. 448 व 448/1 आये हुए है। खसरा सं. 442 में जाने के लिये रास्ता खसरा सं. 448/1 के उत्तर माठ के सहारे-सहारे निकल कर राजस्व रेकर्ड में कटाण का रास्ता खसरा सं. 467 से मिलता है। उक्त खसरा सं. 442 में जाने के लिये उक्त प्रस्तावित रास्ता जिसे मार्क ए, बी, सी, डी, से दर्शाया गया है। ही एक मात्र रास्ता कदीमी चला आ रहा है। परन्तु अप्रार्थी सं. 5 से 9 का खातेदारी का रास्ता है। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण ने हाल में दिनांक 29-05-2022 को वादग्रस्त रास्ते से निकलने से मना कर दिया और कहा कि उनके खेत में से प्रार्थीगण निकल कर अपने खेत में ट्रेक्टर नहीं ले जा सकेगे। जिस पर प्रार्थीगण ने उक्त अप्रार्थीगण को काफी समझाईश भी की परन्तु अप्रार्थीगण नहीं माने। प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये विकल्प में अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं सबसे छोटी दूरी का रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी ही है। उक्त रास्ता जो अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का है प्रार्थीगण को उक्त भूमि रास्ते हेतु 20 फुट चौड़ाई में दिलाये जाने पर प्रार्थीगण अपने खेत में जाकर कृषि कार्य कर सकेगे। उक्त अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में से जो रास्ता निकलता है। तहसीलदार बिलाड़ा की रिपोर्ट पहले से ही पत्रावली में मंगवाई जा चुकी है। प्रार्थीगण सरकारी नियमानुसार राशि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

देने को तैयार है। इसके लिये प्रार्थीगण पूर्णरूप से सहमत है। अप्रार्थीगण को भी कोई भारी क्षति होने वाली नहीं है। क्योंकि खेत का उत्तरी माठ के सहारे सहारे रास्ता है एवं प्रार्थीगण का कटाणी रास्ता से कम से कम दूरी का रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के 251 क में काश्तकारों को यह सुविधा दी गई है जिन काश्तकारों के खेतों आने जाने हेतु कटाण का रास्ता नहीं है वे अपनी अत्यधिक आवश्यकता होने पर अन्य खातेदार की जोत में होकर आने जाने के लिये रास्ता लेने या पाईप लाईन बिछाने के लिये उक्त न्यायालय से मार्ग प्राप्त कर सकता है। प्रार्थीगण को अपने खेत में जाने हेतु रास्ता देने को कतई तैयार नहीं हुआ जिस कारण प्रार्थीगण को मजबूरन न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। तहसीलदार बिलाड़ा भूमिधारी होने एवं रास्ता हेतु नाप चौप करने, भूमि की कीमत तय करने के लिये पक्षकार बनाये गये है। सरकारी हितों के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है। हल्का पटवारी द्वारा उक्त रास्ते के सम्बन्ध में भौतिक रिपोर्ट मंगाई जाकर प्रार्थीगण को वर्णित रास्ता जिसे संलग्न नजरी नक्शे में मार्क ए, बी, सी, डी, दर्शाया गया है के सम्बन्ध में भौतिक रिपोर्ट मंगवाई जा चुकी है।

अतः संशोधित प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की प्रार्थना को स्वीकार की जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 5, 6 व 9 की ओर से श्री अशोक कुमार अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा मय जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा नंबर 442 के पश्चिम में अप्रार्थीगण के दो खसरा संख्या 448 व 448/1 अवश्य आये हुआ है। परन्तु यस्ता संख्या 442 में जाने के लिये खसरा संख्या 448/1 के उत्तर के सारे सारे निकलकर रास्ता राजस्व रेकर्ड में कटान का 487 श्र नहीं मिलता है। यहा यह उल्लेख करना आवश्क है कि ऐसा कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। व ना ही रास्ता खसरा संख्या 448/1 के उत्तर माठ के सारे सारे निकलकर जाता है। खसरा संख्या 442 में जाने के लिये उक्त प्रस्तावित रास्ता जिसमे मार्क ए, बी, सी, डी. से दर्शाया गया है। ऐसा कोई कदमी रास्ता नहीं चला आ रहा है। जहा तक अप्रार्थी संख्या 5 से 9 तक खातेदारी के रास्ते का प्रश्न है वह रास्ता खसरा संख्या 442 में नहीं जाता है। बल्कि प्रार्थी के खेत में बने रहवासी ढाणी में ही जाता है। आगे पश्चिम में खेत खसरा नंबर 442 के पूर्वी व अप्राथी संख्या 5 से 9 के उतर माठ पर अप्रार्थी संख्या 5 से 9 के पशो को बांधने हेतु पक्का निर्माण कर बाडे व कमरे बने हुये है तथा पानी के टांका का पक्का निर्माण किया हुआ है। उक्त जगह को अप्रार्थी संख्या 5 से 9 अपने रहवास व पशुओं को रखने हेतु काम में लेता चला आ रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसा बतई प्रस्तावित रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, मे नहीं चला आ रहा है। जहा एक दिनांक 29.05.2022 को वादग्रस्त रास्ते से निकलने से मना कर दिया और कहा कि उनके खेत से प्रार्थीगण निकल कर अपने होत में टैक्टर नहीं ले जा सकेगें, गलत होने से अस्वीकार है। बूकि ऐसा कोई रास्ता पहले से मौजूद ही नहीं है व ना ही प्रार्थीगण ने ऐसें किसी रास्ते को उपयोग व उपभोग में लिया। ना कभी अपने खेत में प्रार्थीगण द्वारा बताये गये मार्क ए, बी, सी, डी. से कनी अपने खेत में टैक्टर लेके गये इस कारण प्रार्थीगण का यह कत्थन सर्वधा गलत अंकन किया गया। ना तो

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दिनांक 29.05.2022 ऐसा कुछ हुआ व ना ही प्रार्थीगण द्वारा समझाई की गई व नाही प्रार्थीगण नही माने क्योंकि जब मौके पर ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है तो निकलने से मना करने व समझाई करने का प्रश्न ही पै नहीं होता है। उनके खेत में जाने के लिये विकल्प में अन्य कोई रास्ता नहीं है एवं सबसे छोटी दूरी का रास्ता मार्क ए, बी, सी, डी, ही है। जवाब प्रार्थना पत्र के. साथ प्रस्तुत नक्शा भूमि का निरक्षण व अवलोकन करने से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के जाने हेतु सबसे कम दूरी का रास्ता खसरा नंबर 447 में उसकी दक्षिणी माठ के साथ के सारे सारे जाने हेतु मार्ग ई. एफ, जी, एच, रास्ता प्रस्तावित कर मांगा जा सकता है। नो सबसे कम दूरी का रास्ता है जो प्रार्थीगण के खसरा नंबर 442 का पूर्वी माठ जो खसरा नंबर 447 के चिपते है से निकलकर कटानी रास्ता 467 पर सीधा मिलता है। जो प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 442 में जाने का सबसे नजदीक रास्ता है। यहा यह उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है कि खसरा नम्बर 448/1 के बिल्कुल दक्षिणी माठ के चिपते हुये खसरा नम्बर 448 के उत्तरी दिशा में स निकल जा सकता है। खसरा नम्बर 448 का रकबा भी अप्राथर्थीग संख्या 05 से 09 के खसरे से दुगना हैं। जो रास्ता प्रार्थीगण करे दक्षिण की माट से चिपता हुआ है जिसको प्रार्थीगण उपयोग कर सकते है तथा इसका उपयोग भविष्य में खसरा नंबर 441 क खातेदारान द्वारा भी किया जा सकता है। जिसमें अधिक उपजा भूमि भी खराब नहीं होगी। प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में इसी रास्ते पर काम में लेते आ रहे है। प्रार्थीगण का यह लिखना गलत है कि उक्त रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 05 से 09 के खातेदारी भूमि में है 6. यह है कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6 गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 5 से 9 की भूमि में कोई रास्ता नहीं निकलता है। तहसीदार बिलाड़ा की रिपोर्ट पत्रावली पर मंगवाई जा चुकी है उक्त रिपोर्ट बनाते समय ना तो अप्रार्थी संख्या 5 से 9 को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया व ना ही उन्हें सुनाई का विधि अनुसार अवसर दिया गया। ना ही फर्द माँकी रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई। उक्त मौका रिपोर्ट जब तैयार कि गई तब अप्रार्थीगण 5 से 9 उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नहीं थे तथा जब प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया उसमें भी प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 448 के उत्तरी माठ के सारे-सारे एक मात्र कदमी रास्ता चला आ रहा बताया है। तथा वाद कारण भी वही बताया है। इससे भी स्पष्ट है कि ना तो कभी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 448/1 में कोई रास्ता था ना ही कभी प्रार्थीगण ने उसे काम में लिया व ना ही अप्राथी संख्या 5 से 9 ने दिनांक 29.05.2022 को मना किया। उक्त सारे तथ्य मनगंढत उल्लेखित किये है जो अपने आप में ही विरोधाभासी है। तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा मौके पर जाकर ना तो कोई रिपोर्ट तैयार की बल्कि मात्र खाना पूर्ति की गई। उक्त रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व प्रार्थीगण से मिलीभगत उनके राजनैतिक प्रभाव से अप्रार्थी संख्या 5 से 9 को तंग परेशान करने की नियत से तैयार की गई है। जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का अपने खेत में जाने का सबसे छोटी दूरी का रास्ता प्रस्तावित रास्ता नहीं है इस कारण नियामानुसार राशि जमा कराने व प्रार्थीगण के सहमत होने का प्रश्न ही नहीं है। यदि उक्त रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 5 से 9 की भूमि से दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 5 से 9 को भारी क्षति होगी। जहा प्रस्तावित रास्ता बताया जा रहा है वहा अप्रार्थी संख्या 5 से 9 का पक्का निर्माण हो रखा है मौके पर पक्का टांका व पशुओं के रहवास हेतु पक्का निर्माण किया हुआ तथा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पक्का मंदिर का निर्माण भी हो रखा है। अप्रार्थी संख्या 5 से 9 के रहने हेतु कमरे भी बने हुये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उक्त प्रस्तावित रास्त से अप्रार्थी संख्या 5 से 9 को भारी क्षति व नुकसान होगा जिसका मूल्यांकन रूपयों पेशे में किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा बताया गया रास्ता खेत के उतरी माठ के सारे सारे मौजूद नहीं है ना ही कम दूरी का रास्ता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क में काश्तकारों को यह सुविधा दी गई है कि जिन काश्तकारों के खेत में आने जाने का रास्ता नहीं है अत्यधिक आवश्यकता होने पर अन्य खातेदार की जोत होकर रास्ते लेने व पाईप लाईन बिछाने के लिये उक्त न्यायालय से मार्ग प्राप्त कर सकता है लेकिन उक्त प्रकरण में यह अधिकार लागू नहीं होता है। क्योंकि जहा प्रस्तावित रास्ता बताया जा रहा है वहा पर अप्रार्थी संख्या 5 से 9 का पक्का निर्माण हो रखा है। खाली खेत नहीं है इस कारण उक्त प्रावधान इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं जहा तक सबसे छोटे रास्ते का विकल्प है तो वह रास्ता खसरा नंबर 447 में उपलब्ध हो सकता है। जहा बिल्कुल खाली जमीन मौके पर उपलब्ध है तथा पूर्व में भी 442 के पूर्व खातेदार अमृतलाल द्वारा उक्त भूमि से होकर आने जाने हेतु काम में लिया जाता रहा है। अप्रार्थीगण सं. 5, 6, 9 द्वारा विशेष उजरात की गई जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत किया था जो पूर्व में ही खारिज हो चुका है। प्रार्थीगण ने तथ्यों को छुपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 5 से 9 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जबकि प्रार्थीगण के पश्चिम में खेत खसरा नंबर 446 आया हुआ है। जो कालाउना से झाक जाने वाली ग्रेवल सडक पर स्थित है जो खेत खसरा नंबर 446 रोड के चिपते ही है। इसी प्रकार खसरा नंबर 447 भी उक्त रोड के उपर आये हुये है उक्त रोड से प्रार्थीगण के खेत में जाने का सबसे कम दूरी का रास्ता बनना पाया जाता है जो सीधा खसरा नंबर 446 या खसरा 447 से सीधे प्रार्थीगण के खेत में जाता है जो रास्ता प्रार्थीगण को दिया जाता है तो वह सबसे कम दूरी का रास्ता होगा व सबसे कम कृषि भूमि खराब होगी। इरा तथ्य को प्रार्थीगण ने जान बूझकर छुपाया है। कानून एवं कम जोत की जमीन है उसकी बजार सुविधा की दृष्टि से बडी जोत व सबसे नजदीक भूमि से रास्ता कानून उपलब्ध कराया जाना विधि संवत है। अप्रार्थी संख्या 5 से 9 गरीब व्यक्ति है जबकि खसरा नंबर 446 व 447, 448 प्रभावशाली व्यक्ति है इस कारण जानबूझकार अप्रार्थी संख्या 5 से 9 को तग व परेशान करने की नियत से तथ्यों को छुपाते हुये प्रार्थना पत्र पेश किया है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तावित रास्ता जो प्रार्थीगण द्वारा बताया जा रहा है वहा पर अप्रार्थी संख्या 5 से 9 का पक्का निर्माण हो रखा है। कानून जहा पर पक्का निर्माण हो रखा है वहा किसी भी तरह का कोई रास्ता उपलब्ध ही नहीं करवाया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा दोनों प्रार्थना पत्र में एक ही वाद कारण व दिनांक उल्लेखित किये हुये है जब प्रथम प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 5 व 9 पंक्षकार ही नहीं थे ना ही उक्त प्रस्तावित रास्ते अप्रार्थी संख्या 5 से 9 की भूमि में था ही नही तो उसी दिनांक को उनके द्वारा मना करने व समझाई करने के तथ्य अपने आप गलत साबित हो जाते है इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी वाद कारण के प्रस्तुत किया गया इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मात्र इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 5, 6, 9 के विरूद्ध खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

अप्रार्थी सं. 4 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार ग्राम कालाउना के खसरा नंबर 448/1 का है जिसके खातेदार प्रतिवादीगण से अन्य बिजेश कुमार, श्रवण कुमार पि.घेवरराम, मंजू, सुशीला पि.घेंवरराम, डूंगरराम पुत्र दुर्गाराम कौम कुम्हार सा.कालाउना की खातेदारी का खसरा है मौके व नक्शें की स्थिती अनुसार प्रस्तावित स्थल खसरा नंबर 448 में न होकर खसरा नंबर 448/1में है। खसरा नंबर 448/1 के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने पर प्रार्थी अधिवक्ता को अवगत कराया। जिसके उपरान्त प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सीपीसी पेश कर संशोधित प्रार्थना पत्र व संशोधित कॉज टाईटल पेश कर स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बिलाडा को संशोधित प्रार्थना पत्र के संदर्भ में पुनः मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। सरकारी पैरोकार तहसीलदार बिलाडा द्वारा पुनः विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के खेत खसरा सं. 442 में पडौसी खातेदारों के खाली खेतों में से जहां से मौका लगता है उसी खेत खसरों से आना जाना करता है कोई स्थायी खेत खसरें में से आना जाना नहीं करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही निकटतम रास्ता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते संलग्न नक्शे में ए बी सी डी मार्क भू भाग ग्राम कालाउना के खसरा सं. 448/1 का है पूर्व 251 ए रिपोर्ट संलग्न अनुसार, मौके पर आदिनांक खसरा सं. 448/1 के पूर्व दिशा वाली माठ पर खातेदारों द्वारा एक पक्का कमरा व एक पक्का पानी का टांका बनाया हुआ है। व खसरा सं. 448/1 के प्रतिवादी(खातेदार) प्रतिवादी सं. 5 से 9 है। बिजेश कुमार, मन्जू, श्रवण कुमार, सुशीला व डूंगरराम खातेदार कौम कुम्हार सा.देह खातेदार दर्ज रेकर्ड है। पूर्व रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 442 का खातेदार अपने खेत में जाने हेतु ग्राम कालाउना के खसरा सं. 448 में से संलग्न नक्शे में एबीसीडी मार्क भू-भाग से प्रस्तावित रास्ता चाहा है। जिस स्थान से रास्ता चाहा गया मौके पर वह भू-भाग ग्राम कालाउना के खसरा सं. 448/1 का है। मौके व नक्शे की स्थिति अनुसार प्रस्तावित स्थल खसरा सं. 448 में न होकर खसरा सं. 448/1 में है। प्रार्थी के द्वारा वांछित रास्ते में खसरा सं. 448/1 के कुल रकबा 1.4967 हैक्टयर किस्म बारानी 1 (मौके पर सिंचित) में से रास्ता हेतु रकबा 0.0683 हेक्टयर भूमि आयेगी जिसकी वर्तमान डीएलसी दर की दो गुणा राशि निम्नानुसार है।

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टयर में	रास्ता उपयोग हेतु रकबा	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट	डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि
1.	बिजेश कुमार, श्रवण कुमार, मंजू, सुशीला पुत्री घेवरराम, डूंगरराम पुत्र दुर्गाराम जातियान कुम्हार निवासी कालाउना तह.बिलाडा	448 / 1	1.4967 हैक्ट	0.0683 हैक्टयर	358042	48909
योग				0.0683 हैक्टयर		48909

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 448/1 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 31.08.2022 व दिनांक 08.11.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 5 से 9 को अदा करने को तैयार है। अप्रार्थीगण सं. 5 से 9 द्वारा आपति पेश कर कथन किया कि श्रीमान तहसीलदार बिलाडा द्वारा दिनांक 21.09.2022 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थी सं. 5 से 9 को पक्षकार नहीं बनाया गया। ना ही उनके सामने कोई मौका देखा गया। पूर्व रिपोर्ट जो दिनांक 19.07.2022 श्रीमान के आदेश द्वारा बनाई गई व मौके पर जाकर तैयार नहीं की गई मात्र कार्यालय में ही खाना पूर्ति की गई। यदि मौके पर रिपोर्ट बनाई जाती तो पूर्व रिपोर्ट में भी पक्का निर्माण अवश्य दिखाया जाता। अप्रार्थी सं. 5 से 9 द्वारा तहसीलदार द्वारा पूर्व में बनाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 19.07.2022 को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत दोनों मौका रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व रिपोर्ट में फर्द मौका में प्रस्तावित स्थल पर खरीफ की फसल खडी होना एवं मौके पर रास्ता नहीं होना बताया गया। दुबारा मौका रिपोर्ट में बताया गया कि प्रार्थीगण खाली खेतों में से आना जाना करता है कोई स्थायी खेत खसरे में से आना जाना नहीं करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता ही सबसे नजदीक रास्ता होना बताया गया साथ ही वांछित रास्ता पर निर्माण होना भी बताया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 में निर्धारित किया गया कि प्रत्येक काश्तकार को अपनी जोत में कृषि कार्य करने का अधिकार है रास्ते के अभाव में उसको कृषि कार्य से वंचित नहीं किया जा सकता। उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अप्राथी सं. 5 से 9 की आपति को अस्वीकार किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा 442 में प्रार्थीगण को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नंबर 448/1 के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नंबर 442 में पहुचता है। इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक पिचियाक के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.11.2024 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है किन्तु मार्क ए बी सी डी के रास्ते में स्थित निर्माण के संबंध में यदि अप्राथी सं. 5 से 9 द्वारा निर्माण लागत लेने की सहमति हो जाती है तो निर्माण लागत राशि प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 5 से 9 को अदा करने के पश्चात निर्माण ध्वस्त कर नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता घोषित किया जा सकता है या

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

फिर सहमति नहीं होने पर मार्क रास्ते से होते हुए निर्माण कार्य को छोडकर निर्माण के सहारे सहारे अप्रार्थी सं. 5 से 9 की भूमि में से रास्ता घोषित किया जाता है। एवं उक्त रास्ते की प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 5 से 9 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 5 से 9 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोश में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 08.11.2024 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 2/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा